

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-(तीन)/2014/५८०७
दिनांक: ०३-१-२०१५

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा भृगु महाविद्यालय,
पलिया, मऊ।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० विभागाध्यक्ष पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-26.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्कृति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-०९ मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत ०३ वर्ष की संविदा के आधार पर बी०एड० विभागाध्यक्ष पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिमेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद
1	डॉ० संजीव कुमार शुक्ल	श्री कमला प्रसाद शुक्ल	31.12.1972	ए०००८०, ए०००८००१० १९९९	विभागाध्यक्ष

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्भत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइंज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टप्रेसी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीबूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवंदीय

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-(तीन)/2014/ ७३२
दिनांक : १३-१०-१५

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा भृगु महाविद्यालय,
पलिया, मऊ।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-26.04.2014 एवं 30.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-०९ मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनानात्मकता ०३ (तीन) वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत / अनुमोदित पाये तो उनका अनुमोदन स्वतः निररत समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री पुनीत कुमार	श्री कोदई राम	10.03.1980	एम०ए०, नेट दिसम्बर 2012	बी०ए०
2	.. कमल किशोर	स्व० यश नारायण यादव	25.09.1976	एम०ए०, नेट जून 2013	बी०ए०
3	डॉ रंजू पाण्डेय	श्री शम्भूनाथ पाण्डेय	01.10.1978	एम०ए०, पी-एच०डी 2012	बी०ए०
4	श्री लवकुश वर्मा	.. रामचन्द्र वर्मा	15.07.1984	एम०ए०, नेट दिसम्बर 2012	बी०ए०
5	.. भरत राम	.. राजेश राम	10.07.1976	एम०ए०, नेट जून 2012	बी०ए०
6	.. रामचन्द्र यादव	.. रामकेवल यादव	22.06.1982	एम०ए०, नेट जून 2012	बी०ए०
7	.. सर्वेश कुमार पटेल	.. लक्ष्मीदास	03.08.1985	एम०ए०, नेट दिसम्बर 2012	बी०ए०

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईंज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टप्रेटी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदारी भविष्यन्ति (कान्द्रीबूरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,